

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-1/विविध- /2019/

दिनांक.


—:आदेश:—

पित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफडी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ 14(88)वित्त (नियम)/2008-। दिनांक 31.12.2009 एव एफ 15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एव 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स प्रथम जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि द्वारा ACP	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैंड	देय ग्रेड-पे / पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	इन्द्रमणी शर्मा	नर्स प्रथम	भरतपुर	12.10.1989	12.10.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
2	कैलाश चन्द्र नागर	नर्स प्रथम	बारा	23.08.1987	23.08.2014 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके सबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।


उक्त कर्मियों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।


 (मुकुल शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर
 दिनांक 15-05-2019

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-1/विविध- /2019/229

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- भरतपुर/कोटा।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर/बारां।
- 3 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 4 संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
- 5 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।


 (मुकुल शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर